

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 311] नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 7, 1984/श्रावण 16, 1906
No. 311] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 7, 1984/SRAVANA 16, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

नौवहन और परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

नई दिल्ली, 7 अगस्त, 1984

सा. का. नि. 594(अ):—केन्द्रीय सरकार महापत्तन अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 3, उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के उप विकास सलाहकार के बदले बम्बई पत्तन के न्यासी मंडल में नौवहन और परिवहन मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करने के लिए नौवहन और परिवहन मंत्रालय के अपर सचिव (पत्तन) को न्यासी नियुक्त करती है और भारत सरकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय (पत्तन पक्ष) की अधिसूचना सं.

सा. का. नि. 249 (अ) दिनांक 31 मार्च, 1984 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में क्रम सं. 9 के नामने “उप विकास सलाहकार, नौवहन और परिवहन मंत्रालय”, के स्थान पर “अपर सचिव (पत्तन), नौवहन और परिवहन मंत्रालय”, रहेंगे।

[फाइल सं. पी. डब्ल्यू/पी.टी.वी.-21/83]

पी. वी. राव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SHIPPING AND TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th August, 1984

G.S.R. 594(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby appoints the Additional Secretary (Ports), Ministry of Shipping and Transport as a Trustee to represent the Ministry of Shipping and Transport, on the Board of Trustees of the Port of Bombay vice the Deputy Development Adviser, Ministry of Shipping and Transport and makes the following amendment in the Notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport (Ports Wing) No. G.S.R. 249(E), dated 31 March, 1984, namely :—

In the said notification, against Serial Number 9 for the entry “Deputy Development Adviser, Ministry of Shipping and Transport”, the entry “Additional Secretary (Ports), Ministry of Shipping and Transport”, shall be substituted.

[F. No. PW/PTB-21/83]

P. V. RAO, Jt. Secy.